



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1227]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936

No. 1227]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

का.आ. 1477(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 2 के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ज़रदुश्त (पारसी) और जैन समुदायों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 11-60/2013-एमसी]

वीना ईश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2014

S.O. 1477(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of Section 2 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, (2 of 2005), the Central Government hereby notifies the communities, viz., Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains as minority communities for the purposes of the said Act.

2. This issues with the approval of the competent authority.

[F. No. 11-60/2013-MC]

VEENA ISH, Jt. Secy.